राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1545/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
आशीष तिवाडी मातृमंदिर] ई&183] रामपथ श्याम नगर], Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं महानिरीक्षक पुलिस इंटेलीजेन्स पीएचक्यू, लालकोठी, Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05/04/2018

1. अपीलार्थी की ओर से श्री मोहन लाल गोयल उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री सुलेश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 17-08-2017 के द्वारा कॉग्रेस सरकार के शासनकाल 2008 से 2013 में जो सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई थी, किस श्रेणी की थी, किस आधार पर उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति, वर्तमान सरकार के आने के बाद सुरक्षा हटाई गई इस बाबत सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति के बाबत 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 07-09-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि आवेदन दिनांक 17-08-2017 से 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी तथा यह सूचना मेरे पक्षकार के जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के परन्तुक के अनुसार 48 धन्टे में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। प्रत्यर्थी ने यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई तथा पत्र दिनांक 01-09-2017 से अवगत कराया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(4) के अन्तर्गत राज्य विशेष शाखा को मुक्त रखा गया है। सूचना नहीं दिये जाने के विनिश्चय से अवगत कराया गया। प्रथम अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 07-09-2017 से 48 घन्टे में सूचना उपलब्ध कराये जाने की बाध्यता को समाप्त कर अपील को अस्वीकार किया गया है। द्वितीय अपील पेश किये जाने के पश्चात भी सूचना

उपलब्ध नहीं कराई गई। सूचना दिये जाने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के आवेदन के क्रम में विनिश्चय पत्र दिनांक 01-09-2017 से अपीलार्थी को प्रेषित किया जा चुका है। प्रथम अपील पेश करने पर अपील अस्वीकार की गई है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय को उचित माना है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 07-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 01-09-2017 एवं प्रथम अपील का निर्णय की प्रति संलग्न की है।

7. अपीलार्थी के पक्ष को गहनता से सुना। प्रत्यर्थी का विनिश्चय एवं प्रथम अपील अधिकारी का निर्णय विधि अनुसार है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त